



भारत सरकार  
Government of India  
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय  
Ministry of Environment, Forest & Climate Change  
क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ  
Regional Office, Lucknow



केन्द्रीय भवन, ग्यारवां तल, सेक्टर एच, अलीगंज, लखनऊ-226024  
Kendriya Bhawan, 11<sup>th</sup> Floor, Sector H, Aliganj, Lucknow-226024, Phone No : 0522-2326696  
Email : roc.lko-mef@nic.in, goimofrolko@gmail.com

पत्र सं० : 8बी/यू0पी0/06/251/2021/एफ.सी./41

दिनांक : 25.07.2025

सेवा में,

अति० मुख्य सचिव,  
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,  
उत्तर प्रदेश शासन, बापू भवन, लखनऊ।

**ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या- FP/UP/Road/59458/2020**

**विषय:** जनपद-सोनभद्र में पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड, लो0नि0वि0 द्वारा पटवध से बसुहारी सम्पर्क मार्ग (चैनेज सं०-0.000 से 61.500 तक) के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु ओबरा वन प्रभाग में प्रभावित 34.6725 हे० आरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग व बाधक 1114 वृक्षों/पौधों के पातन एवं कैमूर वन्यजीव प्रभाग, मीरजापुर में प्रभावित 10.62 हे० आरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग व बाधक 194 वृक्षों/पौधों के पातन अर्थात् कुल प्रभावित 45.2925 हे० आरक्षित वन भूमि के बदले प्राप्त सोनभद्र वन प्रभाग में 37.97 हे० एवं कैमूर वन्यजीव प्रभाग में 7.3225 हे० गैर वनभूमि के सापेक्ष कैमूर वन्यजीव प्रभाग में प्राप्त संशोधित 7.3225 हे० गैर वनभूमि के अनुमोदन के सम्बन्ध में।

**संदर्भ:** मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी का पत्रांक 107/11-सी-FP/UP/Road/59458/2020, दिनांक 07.07.2025.

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक सचिव (वन), उत्तर प्रदेश शासन के पत्रांक 1748/81-2-2021-800(151)/2021 दिनांक 12.11.2021 का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव में राज्य सरकार द्वारा वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति मांगी गयी थी।

प्रकरण में इस कार्यालय के सम-संख्यक पत्र दिनांक 04.02.2022 द्वारा सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गयी थी। मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के माध्यम से क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपलब्ध करायी गयी गैर वन भूमि में संशोधन करने का अनुरोध किया गया है।

प्रकरण को दिनांक 11.07.2025 को आहूत की गयी क्षेत्रीय सशक्त समिति (REC) की बैठक में Agenda Item No. 5.6 (UP) सम्मिलित किया गया था। क्षेत्रीय सशक्त समिति (REC) ने क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु स्थल संशोधन के अनुरोध को निम्न शर्तों पर अनुमोदित करने की अनुशंसा की है :-

1. Non Forest Land (NFL) provided for CA shall be adequately fenced for complete protection using the chain link fencing at the Cost of the User agency. The User Agency shall fence the NFL and hand over the land after mutation to the State Forest Department and this will be one of the compliances of S-I conditions.
2. Solar-powered pumps with borewell needs to be installed by the User Agency at the CA (compensatory afforestation) site for irrigation purposes to ensure better survival of plants.
3. The revised KML file of CA area needs to be uploaded on PARIVESH portal in consultation with NIC, Delhi.

भवदीया,

(विजया रात्रे)

सहायक वन महानिरीक्षक (केंद्रीय)

**प्रतिलिपि (ईमेल द्वारा) :-**

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक(हॉफ), वन विभाग, 17, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ, उ०प्र०।
2. मुख्य वन संरक्षक(वन संरक्षण) एवं नोडल अधिकारी, वन विभाग, 17, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ, उ०प्र०।
3. मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव, पश्चिमी क्षेत्र, कानपुर।
4. प्रभागीय वनाधिकारी, कैमूर वन्यजीव प्रभाग, मीरजापुर।
5. अधिशासी अभियंता, पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड, लो0नि0वि0, सोनभद्र।
6. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु/आदेश पत्रावली।

(विजया रात्रे)

सहायक वन महानिरीक्षक (केंद्रीय)